

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्ता चौधरी आरम्भ

करण सं० : 15/2022

मनवान :

1. प्रहलाद पुत्र सुरजाराज जाति जाट निवासी शेरडा।
2. वीरसिंह पुत्र सुरजाराज जाति जाट निवासी शेरडा।
3. राजपाल पुत्र सुरजाराज जाति जाट निवासी शेरडा।
4. बनवारी पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी शेरडा।
5. रामचन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी शेरडा।
6. भलेराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी शेरडा।
7. विमला पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शेरडा।
8. वेदकौर पुत्री जाति जाट निवासी शेरडा।
9. सिलोचना पत्नी रिशालसिंह जाति जाट निवासी शेरडा।
10. पोलूराम पुत्र रिशालसिंह जाति जाट निवासी शेरडा।
11. गुड्डी पुत्री रिशालसिंह जाति जाट निवासी शेरडा।
12. रोशनी पत्नी सुरेन्द्रसिंह पुत्र टांडू जाति जाट निवासी शेरडा।
13. चन्द्रमोहन पुत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र टांडू जाति जाट निवासी शेरडा।
14. संजय पुत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र टांडू जाति जाट निवासी शेरडा।
15. सुनीता पुत्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र टांडू जाति जाट निवासी शेरडा।
16. रविन्द्र पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी शेरडा।
17. राजकुमार पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी शेरडा।
18. उम्मेदसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी शेरडा।
19. सुरेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी शेरडा।
20. प्रमिला पत्नी बलजीत पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी शेरडा।
21. टीना पुत्री बलजीत पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी शेरडा।
22. अनुज पुत्र बलजीत पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी शेरडा।

:—वादीगण

**बनाम**

1. महावीर पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी शेरडा।
2. शंकर पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी शेरडा।
3. मांगेराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी शेरडा।
4. राजेन्द्र पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी शेरडा।
5. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा शेरडा तहसील भादरा।
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डावडी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जूरिये तहसीलदार राजस्थान भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज०काश्त०अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री रतन सिंह धारीवाल : वादी  
वकील श्री भानू प्रताप : प्रतिवादी सं० 1 ता 4  
वकील श्री विनोद सिंगाठिया : प्रतिवादी सं० 5



सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा

निर्णय

दिनांक :


संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं० 368/100 के ख०न० 102 की 1.5810है०, ख०न० 120 की 4.7680है०, ख०न० 401 की 7.1960है०, ख०न० 495 की 2.9970है०, ख०न० 496 की 3.1870है०, ख०न० 763 की 3.0220है० व ख०न० 905 की 0.4550है० कुल 23.2060है० बरानी वादभूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिय सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 ता 6 जारिय वकील हाजिर आए। प्रतिवादी सं० 5 व 7 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी ने खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाने पर अपनी सहमति दर्ज की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा शेरडा के खाता सं० 368/100 के ख०न० 102 की 1.5810है०, ख०न० 120 की 4.7680है०, ख०न० 401 की 7.1960है०, ख०न० 495 की 2.9970है०, ख०न० 496 की 3.1870है०, ख०न० 763 की 3.0220है० व ख०न० 905 की 0.4550है० कुल 23.2060है० बरानी वादभूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में वादीगण ने जोत विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया। अतः वाद वादीगण प्रथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तथा राजस्व मण्डल अजमेर के क्रमांक 10546 दिनांक 05.10.2020 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रोही मौजा शेरडा के खाता सं० 368/100 के ख०न० 102 की 1.5810है०, ख०न० 120 की 4.7680है०, ख०न० 401 की 7.1960है०, ख०न० 495 की 2.9970है०, ख०न० 496 की 3.1870है०, ख०न० 763 की 3.0220है० व ख०न० 905 की 0.4550है० कुल 23.2060है० बरानी वादभूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वादभूमि का अच्छी मंदा के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रंगदार नक्शा एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता, आदि का अंकन दर्ज किया जाकर अन्दर 15 योम में न्यायालय में पेश करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना वहन करें। इसी अनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक...19:09:22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



  
(सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़